18 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

GRANT OF PENSION TO FREEDOM FIGHTERS

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मैं आधे घंटे की यह चर्चा अपने 15 नवम्बर, को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 516 से उत्पन्न बातों पर उठा रहा हूं। आज से एक साल पहले जब सरकार ने इस बात का एलान किया था कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने कम से कम 6 महीने की सजा भुगती थी उन के लिए पेंशन की व्यवस्था की जायेगी तो इस घोषणा का सभी लोगों ने दिल से समर्थन किया और बतलाया कि देर से ही सही सरकार अच्छा काम करने जा रही है। यह काम बहुत पहले होना चाहिए था क्योंकि जिन की कुर्बानियों के बल पर हम यहां इकट्ठे हैं, यह सरकार कायम है, उन को हम ने 25 वर्ष बाद याद किया फिर भी हमें संतोष हुआ। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं लोगों के अन्दर निराशा आ रही है और उन में बेचैनी है कि सरकार ने एलान तो जरूर किया लेकिन उसे कार्यान्वित कराने में कछुए की चाल से चल रही है। इस प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने कहा था कि 31 अक्तूबर तक पूरे देश से 1 लाख 8682 स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन आए थे, जिस में से इन्होंने 5235 सेनानियों को ही पेंशन दी थी। हो सकता है इस बीच में और लोगों को पेंशन दी गई हो लेकिन आवेदन करने वालों की संख्या भी एक, दो हजार बढ़ी होगी। तो जिस चाल से सरकार चल रही है अगर यही चाल रही तो दस या 12 साल तो जरूर लग जायेंगे लोगों को पेंशन देते देते और इस बीच में हमारे जो पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन को देखने से आज भी हमें प्रेरणा मिलती है वे इस दुनिया में नहीं रहेंगे। 70 वर्ष, 80 वर्ष, 60 वर्ष के जो सेनानी हैं, वे कहां रहेंगे तो बड़ी कच्छप गति से सरकार चल रही है और अगर सरकार ने जो यह भूख जगाई है स्वतंत्रता सेनानियों के मन में वह भूख अगर पूरी नहीं हुई तो वे बहुत बड़ा आन्दोलन आप के खिलाफ करेंगे। तो, आप को लेने के देने पड़ जायेंगे इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इस अनावश्यक विलम्ब का क्या कारण है? क्यों इतनी देर हो रही है। और आप बताइए कि अब तक आप के पास कितनी दरख्वास्तें कुल आई हैं; राज्यवार ब्यौरा दीजिए। साथ ही इस का भी राज्यवार ब्यौरा दीजिए कि अब तक कितने सेनानियों को पेंशन की स्वीकृति दी गयी है और तमाम लोगों को कब तक आप पेंशन पूरा दे देने का विचार रखते हैं क्योंकि इसी प्रश्न के उत्तर में आप ने बताया है कि एक साल लगेगा आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल करने में। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप कितना समय लेंगे इस बात को आज बताइए।

पेंशन की स्वीकृति में गड़बड़ भी हो रही है, पार्टीबाजी भी चल रही है। जो लोग सेनानी नहीं रहे हैं ऐसे लोगों को भी पेंशन मिल रही है। यही बात जो ताम्र पत्र दिए गए उस समय भी हुई थी। 15 अगस्त को जब पेंशन दी जाने लगी थी तो बिहार के गया जिले के पोसी थाने के पुराने स्वतंत्रता

सेनानी जो आज कम्युनिस्ट पार्टी मे है उनको खबर गई कि आप को पेंशन दी जायगी। लेकिन जब वे पेंशन की रकम लेने पहुंचे तो तुरन्त तार गया कि नही, इन को न दी जाए। उन का है श्री सालिग्राम शर्मा। यह तो मैं ने एक मिसाल दी। इस तरह की बातें और भी हुई है और वही बातें ताम्र-पत्र के बटवारे मे भी हुई थी। यही खुद दिल्ली में उस की बड़ी चर्चा है कि एक चोपड़ा साहब है, मदन मोहन चोपड़ा, जो आल इंडिया फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बने हुए है, उन के खिलाफ बहुत सी पर्चियां छाप कर के बांटी गई, ऐसे लोगों को भी आप ने ताम्रपत्र दे दिया और ऐसे लोगों के नाम आप ने काट दिए जो राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता थे। मैं कई बार इस सदन में कह चुका हू बिहार के बारे में, चार पांच नाम मैं लिख चुका हूं। श्री किशोरी प्रसन्न सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के टापमोस्ट लीडर बिहार के हैं.....

श्री अनन्त प्रसाद धूलिया (बस्ती) : क्या मदन मोहन चोपड़ा पोलिटिकल सफरर नहीं हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : नही है। बिलकुल पांखडी है। कोई आदमी प्रूव कर दे कि है ? नही है वह। राजनैतिक पीड़ितों के बयान निकले हैं। पर्चे छप कर बटे हुए हैं। मेरे पास वह पर्चा मौजूद है जो कई सूबों की तरफ से छाप कर बांटा गया है।

जो किशोरी प्रसन्न सिंह है, फिर पटना के हमारे फजलुर्रहमान कांग्रेस के पुराने नेता है, उन का नाम काट दिया गया। राय महेन्द्र जिन्हें 75 साल की सजा हुई थी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट मे पटना सिटी से, उन का नाम काट दिया गया। इसी तरह से और जगह भी ऐसा ही हुआ है, यह मैने सुना है। इसी सदन के एक माननीय सदस्य हैं उन के साथ मै ट्रेड यूनियन आन्दोलन में काम भी करता हू श्री चन्द्रिका प्रसाद जी, ने अपने भाई को ताम्रपत्र दिलवाया जो एक दिन भी जेल नही गए जब कि बलिया के और लोग भी थे। महानन्द मिश्र 1942 के हीरो, कांग्रेस सेवा दल के कमान्डर, जो अंग्रेजो के लिए टेरर थे, जिन को मिर्जापुर मे पकड़ कर पुलिस वालो ने एक एक मूछ उखाड़ ली, आज तक उन बेचारे को ताम्रपत्र भी नही दिया गया, पेंशन की बात तो दूर रही और वह मर गए। ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी जो हमारे देश की धरोहर है, उन का कोई ख्याल नही। इतना ही नही, आज पाकिस्तान जो बन गया वहा के जो स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी रहे जो वहां से यहां आ गए उन का क्या होगा जो देवली के कैम्प जेल मे रह चुके हैं, हिजली कैम्प जेल मे रह चुके है, बक्सा फोर्ट जेल मे रह चुके है उन का कोई रेकार्ड नही मिल रहा है तो उन के बारे में क्या होगा ? आप कहते हैं कि उपाय करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या उपाय करेंगे ? आप कहा था कि जिनके जेल के रेकार्ड नहीं मिल रहे हैं उनके बारें में अगर एम. पी या एम एल ए लिखेंगे तो उन की पेंशन भी आप हम व्यवस्था करेंगे। अकेले मैंने 40 आदमियों के बारे में लिखा था जिन के साथ मैं जेलों में रहा। अभी स्पीकर साहब से बात हो रही थी। स्पीकर साहब हमारे देश के कई आदमियों में जाने जाते है।

[श्री रामावतार शास्त्री]

उन्होंने बहुतों की सिफारिश की। उन की सिफारिश से भी अधिकांश को नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने इसी तरह से सिफारिश की। श्री गंगा शरण सिंह दूसरे सदन के सदस्य हैं उन्होंने भी सिफारिश की, आप में से बहुतों ने की होगी। मंत्री महोदय ने कहा था कि एम पी या एम एल ए जिनके बारे में लिख कर देंगे मौजूदा या भूतपूर्व तो उन की व्यवस्था वे करेंगे। अत: मैं जानना चाहता हूं कितने एम पीज और एम एल एज ने लिख कर दिया और उन में से कितने लोगों को दिया आप ने इस बात जानकारी सदन को दीजिए तभी हम समझेंगे कि एम पी और एम एल ए की कदर आप करते हैं। मैंने कई लोगों के बारे में लिखा लेकिन आप के एक सचिव हैं—श्री लोहरा—जो इस को डील करते हैं, उन की सेनानियों के पास चिट्ठी आ जाती है कि आप किसी एम० पी० या एम०एल० ए० से लिखवा कर भेजिए। इस का क्या मतलब है—जब हम लोग लिखते हैं तो क्या हमारे पत्रों को कूड़ेखाने में फेंक दिया जाता है या उन को पढ़ा ही नहीं जाता है, वरना रोहरा साहब ऐसा क्यों लिखते?

आप अब इस चीज को देखिए कि आप पेंशन कैसे देते हैं। कहीं कहीं राज्यों में कमेटियां बनी हुई हैं। मैं बिहार के बारे में जानता हूं—उन लोगों ने सिफारिश की 2200 सेनानियों के लिए, लेकिन आप ने 215 सेनानियों को ही दिया बाकी—इतनी देर हो रही है। जब यहां देर होती है तो अन्य राज्यों में भी देर होती होगी। मैं जानना चाहता हूं कि अन्य राज्यों में निर्णय लेने की क्या मशीनरी है और आपने क्या मशीनरी बनाई हुई है जो जांचपड़ताल कर के आप के पास सूची भेजे। मैं तो यह महसूस करता हूं कि आप केवल नौकरशाही पर निर्भर कर रहे हैं। क्या आप ने लेजिस्लेटर्स की या आल पार्टीज की कोई कमेटी बनाई हुई है, जैसा कि बिहार में बनी हुई है। बिहार के लोगों का अनुभव है—उन्होंने बहुत सी बातें आप से की हैं, उन की बातों को सुनने के बाद आप ने उन के कामों का एप्रीशियेट भी किया है—तो मैं जानना चाहूंगा कि वे क्या काम हैं?

एक बात मैं कहना चाहता हूं जिसे प्राइवेटली भी मैंने मंत्री महोदय से कहा था। हमारे पटना-सिटी के एस० डी० ओ० हैं। उन्होंने अपने मन से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिल कर चन्दा इकट्ठा किया—पोलिटीकल सफरर्स के नाम पर कान्फ्रेंस कर के अलग अलग लोगों को रुपया बांटा और प्रमाणपत्र भी दिए। अब मैं आप को बताना चाहता हूं कि उन में कितने गलत लोग आ गए हैं और अब वे उस प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन क्लेम कर रहे हैं—ऐसे लोगों को कोई पैसा नहीं दिया जाना चाहिए।

अभी बिहार की लिस्ट में एक नाम देखने को मिला—श्री हजारी लाल का जो पटना-सिटी के रहने वाले हैं। वह क्रांतिकारी आन्दोलन के नामी-गरामी आदमी थे, लेकिन बाद में मुखबिर हो गए और इस के बाद कितने लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करवाया। आज दूसरा नाम भी आप के बिहार के एम एल ए हैं, वे भी कभी

केस में थे। कितने लोगों को इन्होंने पकड़-वाया और कई लोगों को आजन्म सजा हो गई। लेकिन इन हजारी लाल को भी 200 रु० महीना दिए जाने की सिफारिश की गई है। मैं जानना चाहता हूं क्या आप इन के बारे में जांच करवायेंगे ? क्या हम एप्रूवर को पेंशन देंगे जो हमारे देश की आजादी की लड़ाई में रुकावट बने। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ—इस की जांच होनी चाहिए।

मैं जानना चाहता हूं कि आजाद हिन्द फौज के भाइयों के लिए आप क्या करने जा रहे हैं—उन का रिकार्ड कहां है ? उन का तो कोई रिकार्ड नहीं है। आजाद हिन्द फौज की जो समिति है यदि वह लिखती हैं तो आप कहते हैं कि इस से काम नहीं चलेगा। इसी तरह से जो पाकिस्तान से हमारे सेनानी भाई आए हैं उन के बारे में भी कोई रिकार्ड नहीं है। इसी तरह से जेलों से नकल लेने में गड़बड़ी हो रही है, उसमें भी पैसा देदे कर नकलें ली जा रही हैं—मैं चाहता हूं कि इन तमाम बातों पर आप तफसील से रोशनी डालें। लोगों के अन्दर काफी बेचैनी फैल रही है। आप को ऐसा मकैनिज्म तैयार करना चाहिए जिस से यह काम जल्द से जल्द हो और लोग मरने न पायें। आप ने कहा था कि ज्यादा उम्रवालों को पहले देंगे—हम उस बात का स्वागत करते हैं लेकिन आप तो उन से कम उम्रवालों को दे रहे हैं और कई बूढ़े लोग तो अब तक मर भी चुके हैं।

मैं चाहूंगा कि आज आप सदन में ऐसा बयान दें, जिस से हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों का सन्तोष हो। उन को विश्वास हो कि सरकार अपने वचन पर कायम है और उस को वह पूरा करेगी और इस में जो धांधली चल रही है, उस को रोकेगी।

श्री अनन्त प्रसाद चूलिया (बस्ती) : सभापति महोदय, मैं गवर्नमेंट की तारीफ के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं, हालांकि मैं रूलिंग पार्टी से सम्बन्ध रखता हूं। लेकिन सरकार की इतनी तारीफ जरूर है कि इन्हों ने 25 साल के बाद स्वतन्त्रता सेनानियों को कुछ पेन्शन देने का एलान किया—लेकिन स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये यह कोई अहसान की चीज नहीं है। जिन लोगों ने आजादी की लडाई में अपना जीवन अर्पित किया, वह इस लिये नहीं किया कि उन को कुछ मिलेगा। उन्हों ने देश सेवा के लिये अपना जीवन अर्पित किया था। उन को जो यह थोड़ी सी पेन्शन दी जा रही है, यह तो एक तरह से आंसू पोंछना है। फिर भी मैं इस के लिये सरकार की तारीफ करूंगा कि उन्हों ने कुछ तो किया।

लेकिन इस के साथ-साथ मुझे दुख यह है कि जो ऐलान किया था—उस में बड़ी अनियमिततायें हैं और उस में बहुत देर हो रही है। उन में से अधिकांश लोग तो मर चुके हैं, जो कुछ थोड़े से बचे हैं वे बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बहुत कमजोर हैं और बीमार हैं। क्या आप इन को मर जाने के बाद दवा देंगे ? क्या जब इन का जीवन समाप्त हो जाएगा तब पेन्शन मंजूर करेंगे—उस से क्या फायदा होगा ? मुझे दुख के साथ

(श्री अनन्त प्रसाद धूसिया)

कहना पड़ता है कि सरकार ने इस विषय में दूसरे देशो से कुछ भी उदाहरण नही लिया। दूसरे देशो मे किस प्रकार उन की इज्जत होती है—लेकिन यहा पर वे बेचारे पेन्शन के लिये दरख्वास्ते देते हैं और दरख्वास्तो पर क्या विचार होता है, कुछ पता नही।

अभी शास्त्री जी ने एक बात उठाई कि बहुत से आदमी जो वास्तव मे स्वतन्त्रता सेनानी नही हैं, स्वतन्त्रता सेनानी बन कर फायदा उठाना चाह रहे हैं। उन का कहना बिल्कुल ठीक है। मै भी यह जानता हू कि बहुत से व्यक्ति जो अवांछित है, जो पोलिटिकल सफरर्स नही है, उन लोगो ने स्वतन्त्रता सेनानी समिति बना बना कर जो अवांछित लोग हैं उन की दरख्वास्ते भिजवा रहे हैं, उन को पेन्शन दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं—यह सब क्या हो रहा है ?

एक बात मै यह जानना चाहता हू कि आप किस को प्राथमिकता देना चाहते हैं ? जिन लोगो ने अपना जीवन अर्पित किया है, यदि उन को देना चाहते हैं तो फिर इस काम मे हीला हवाला क्यो हो रहा है, देरी क्यो हो रही है ? किस की बदौलत आज हम यहां बैठे हैं .....

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : कुछ अपनी बदौलत।

श्री अनन्त प्रसाद धूसिया : अपनी बदौलत नही, उन के बलिदानो की बदौलत यहां बैठे हैं।

जितने नियम इस सम्बन्ध मे बनाये गये है, उन में बड़ी शिथिलता है। किन किन को पोलिटिकल सफरर माना जाता है—विभिन्न राज्यो मे भिन्न भिन्न परिभाषा है, सेन्टर में अलग परिभाषा है। क्या ऐसे राष्ट्रीय कार्य में एकरूपता नहीं होनी चाहिये। कही दो महीने के जेल गये हुए आदमी को पैन्शन मिलती है, कही पाच-छ महीने वाले आदमी को पेन्शन मिलती है—यह बिल्कुल गलत है। क्या देश के लिये यह अच्छी चीज है कि एक प्रान्त मे एक कानून हो, दूसरे प्रान्त मे दूसरा कानून हो और केन्द्र मे दूसरा कानून हो। यह चीज ठीक नहीं है।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हू कि आपने इस चीज का निबटारा करने का काम नौकरशाही के सुपुर्द कर दिया है—यह चीज गलत है। मुझे आप से यह निवेदन करना है कि स्वतन्त्रता सेनानी बेईमान नहीं है। स्वतन्त्रता सेनानियो के बारे मे निर्णय करने के लिये आप ने जो कमेटी बनाई है अगर उस मे किसी स्वतन्त्रता सेनानी को नौमिनेट कर के रखा होता तो शायद इतनी देर न होती। एक चीज और है कि हर प्रान्त मे अगर यह चीज हुई होती तो इतनी ज्यादा एप्लीकेशन्स यहा पर नही आती, यदि एकरूपता होती हर प्रान्त में तो ऐसा नही होता।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों के बारे मे कोई निश्चित नीति सरकार की है, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि कभी सरकार कहती है कि 6 महीने की अवधि तक जिन्हों ने कारावास भुगता है उन को पेन्शन दी जायेगी और कभी

उस से हट कर कहा जाता है कि यदि उस से कम अवधि हो तो उस के बारे मे विचार किया जा सकता है जैसा यहा सुझाव भी आया है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा केन्द्र स्तर और राज्य स्तर पर उस के लिये विचारो में भेद है। केन्द्र स्तर पर एक सोचने का तरीका है स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिको के बारे मे और राज्य स्तर पर जो तरीका है वह भिन्न है। राज्य स्तर पर, कलेक्टर्स बैठकर सूचिया बनाते हैं। वहा पर कोई समिति नही है जो कि उस की देख सकें। केवल इस आधार पर कि अमुक व्यक्ति स्वतन्त्रता सग्राम का सेनानी है उस की लिस्ट राज्य सरकार को भेज दी जाती हैं और यदि उसी आधार पर केन्द्र भी एप्रव करता है और आफिस मे आ जाता है तो जाच के बाद मे क ा जाता है कि वह स्वतन्त्रता सग्राम का से नानी नही था। ऐसी स्थिति में यह देखना आवश्यक है कि वास्तव मे वह सेनानी है या नही और उस के बारे मे कोई प्रक्रिया निश्चित होनी चाहिये। मै मत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता सग्राम के सेनानियो को पेन्शन देने के बारे मे कोई निश्चित नीति, कोई निश्चित क्राइटीरिया है या नही ? जैसा कि मंत्री महोदय ने एक बार पहले बताया था कि गोवा के स्वतन्त्रता सग्राम के सैनिको के बारे में भी विचार करने जा रहे हैं तो आप ने उन के सम्बन्ध मे विचार किया है अथवा नही ? यदि विचार हो गया है तो मै जानना चाहता हू कि उन के बारे में जो विचार किया है वह क्या है ? क्या उन को भी आप इसी प्रकार से पेन्शन देंगे जैसे कि अन्य स्वतन्त्रता सग्राम के सैनिकों को पेन्शन देने की योजना बनाई है ? वे भी उससे लाभान्वित हो सकेंगे अथवा नही ? इसके अतिरिक्त जैसा कि पहले भी चर्चा मे आया है कि उनके बारे मे जो 6 महीने, 8 महीने की सजा भुगत चुके है लेकिन जिनके रिकार्ड जेल मे नही है या जो एम० पी० और एम०एल०एज से प्रमाणीकरण नही करवा पाते तो उन के लिए कौन सा ऐसा तरीका है कि वे अपने आपको सिद्ध कर सके कि वे वास्तव मे सजा भुगत चके है और वे भी इस पेंशन के अधिकारी है ? इसी प्रकार जो सेनानी भारत की स्वतन्त्रता के बारे मे या भारत के अन्य गोवा की स्वतन्त्रता के बारे मे जेल गये थे और वे आज नही है लेकिन उनके जो परिवार है वह बडे कष्ट मे है तो उनको भी किसी प्रकार की सुविधा और सहायता देने की कोई योजना आप बना रहे है अथवा नही ?

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) सभापति जी, प्रधान मत्री और गृह मत्री पत जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाये वह थोडा है। लेकिन सवाल यह है कि जो खूबसूरती उन्होने पैदा की वह अब धीरे धीरे नष्ट हो रही है। एक तो कांग्रसजन जेल गए, मार खाए, लूटे गए और फिर सरकारी नौकरो के दफ्तरो में दौडते दौडते मर गए, सबूत मिलते नही हैं, कागजो को कीडे खा गए, उनके कागजात मिलते नही हैं इसलिए मैं पंत जी से कहूगा कि वे अपने इनीशिएटिव पर, जिन्होने दरख्वास्त दी हैं, केन्द्रीय सरकार से स्टेट गवर्नमेंट्स को हिदायत करे और नही तो स्टेट गवर्नमेंट्स खुद अपना सहकमा रखे हर स्टेट में और जेलखाने से, कचहरियो से

(श्री विभूति मिश्र)

सारे सबूत जुटा कर जो दर्खास्त दिए हैं उनको पेंशन दिलायें । वे दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं । एक दूसरी बात इसमें बड़ी अपमानजनक मालूम होती है कि सरकारी नौकरों के सामने वे जाकर गिड़गिड़ाये । भागलपुर जेल में, बक्सर जेल में और पटना की कैम्प जेल में वे आते हैं लेकिन कहीं रिकार्ड नहीं है । इसलिए मैं कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार ने जैसा इनीशिएटिव लिया है उसी प्रकार के इनीशिएटिव पर शीघ्रातिशीघ्र इस काम को भी करे ।

दूसरी बात यह है कि प्रदेश सरकार को फ़ुर्सत नहीं है, 50 हज़ार दर्खास्तें पटना में हैं कुछ लोगों के नाम आये तो पंत जी ने यहां कहा कि तीन गुना दफ्तर को बढ़ा दिया है लेकिन यहां पर बढ़ाने से कुछ नहीं होता है आप स्टेट गवर्नमेंट्स से कहें । रुपया आप का है, स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी तरफ़ से कुछ हज़ार या लाख रुपया खर्च करके उन सारे लोगों को आप पेंशन दिलाइये ।

जहां तक ताम्रपत्र देने की बात थी ताम्रपत्र वहीं पर रह गए, कहीं पहुंचे ही नहीं ।

अन्त में मैं शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज कम से कम उन्होंने पोलिटिकल सफ़रर्स के आज को यहां पर रिप्रेजेंट किया लेकिन सन् 1942 में ये मुझे भी पकड़वाते थे । ...... (व्यवधान) .....

श्री रामावतार शास्त्री : मैं तो सन् 1942 में जेल में था ।

श्री विभूति मिश्र : आप नहीं थे आपकी पार्टी के लोग थे । ..... (व्यवधान) .....

श्री रामावतार शास्त्री कोई नहीं था । मैं अपनी पार्टी का जवाबदेह आदमी था । हां, मैं आपकी नीति का विरोधी जरूर था । ..... (व्यवधान)

श्री विभूति मिश्र : खैर, देर आयद दुरुस्त आयद । हमको कोई दिक्कत नहीं है । इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

एक बात और बताना चाहता हूं कि पेंशन की रकम देने का क्या क्राइटीरिया होगा ? क्या उनके पास पैसा मनीआर्डर से भेजा जायेगा ? या जैसे कि पेंशनयाफ्ता लोग होते हैं जो अपने कागज लेकर कचहरियों में आते हैं और वहां पर उनको दो-दो रोज लग जाते हैं, उनको घूस भी देनी पड़ती है—उसी प्रकार के इनको भी पेंशन मिलेगी ? मैं चाहता हूं कि उनको आप पेंशन दें उनको सीधे मनीआर्डर से मनीआर्डर की फीस काटकर भेज दें ताकि उनको अपने घर पर ही रुपया मिल जाये और आनन्द से वे अपने बाल बच्चों का जीवन यापन कर सकें ।

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : प्वाइन्ट आफ आर्डर । मेरे साथी शास्त्री जी ने मेरा नाम लिया है इसलिये मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना है ।

MR. CHAIRMAN: Not at this time.

SHRI CHANDRIKA PRASAD: He has taken my name. That is why I have to clarify it. I should be given a chance to explain.

मेरे भाई विश्वनाथ प्रसाद मेरे चचाजाद भाई हैं। वह सन् 32 में पैदा हुए और सन् 42 में दस वर्ष के हो गए। वह चार वर्ष फरार रहे और खुद 6 महीने जेल में रहे। उनके भाई मारे गये और हम भी जेल गए, हमारे फादर मारे गए और अब आप कहते हैं कि वे जेल नहीं गए—यह निहायत गलत बात है। ... (व्यवधान) .....

MR. CHAIRMAN: Whatever you wanted to say you have said.

श्री विभूति मिश्र : शास्त्री जी को पता नहीं है कि 8 और 12 वर्ष के लड़के ज्यादा मार खाते थे।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं दस ही वर्ष की उम्र से जा रहा हूं जेल। ..... (व्यवधान) .....

श्री विभूति मिश्र : चन्द्रशेखर आजाद स्कूल में पढ़ते थे और हम कालेज में पढ़ते थे। वह जब जाते थे भारत माता की जय बोलते थे। हमारे शास्त्री जी को पता नहीं है।

मुझे यह कहना है कि आप यहां पर हम लोगों को आश्वासन दें। दो प्रोब्लम्स हमारे सामने हैं—एक तो बेकारी जिसकी वजह से लोग हमें तंग कर रहे हैं और दूसरी है यह पेंशन जिसकी वजह से हम लोगों का रहना चलना मुश्किल हो गया है। मैं चाहूंगा कि आप यहां पर आश्वासन दें और अखबार वालों से मैं कहूंगा कि वह उसको सारे देश में छाप दें कि सरकार जल्दी से जल्दी ऐसे कदम उठाने जा रही है जिससे कि उनको पेंशन मिल सके।

*SHRI M KATHAMUTHU (Nagapattinam): Mr. Chairman, Sir, on 16th November, 1972 in answer to a Question the hon. Minister stated that more than a lakh of applications from the freedom fighters had been received and decisions had been taken on 5000 applications. He further added that one more year would be required to finalise the decisions on all the applications. I take this opportunity to urge upon him that this work must be completed expeditiously. I would also suggest that a time schedule must be drawn up and the whole work must be completed within the specified target date. The reason for my suggesting this course of action is that 25 years after our Independence the Central Government have given their thought to this question. I need not impress upon you that two and half decades is sufficiently long enough to demand expeditious action on this matter. It has already been delayed so long that it cannot brook any further delay.

I would now like to bring to the attention of the hon. Minister certain practical difficulties being faced by the freedom fighters in processing their applications for pension. For example, it is insisted that the prison certificate must be obtained and furnished along with the application.

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri M. Kathamuthu]

When they go to get such a prison certificate, the prison authorities say that the old records are not available with them. What can they do? If the prison certificate is not available, then they are required to produce a certificate from the distinguished political leaders, MLA's and MP's or ex-MLA's and ex-MP's, who were with them in the prison. I may be permitted to say that this is also another wild-goose-chase. Here, I feel that this condition must be relaxed The Government can say that a certificate of their imprisonment can be obtained from the present Members of Parliament or from the Members of the State Legislatures. This will help them a great deal in fulfilling the requirements imposed by the Governments. I request that the hon Minister should give his serious thought to these problems in furnishing the required information by the freedom fighters and in particular the Government should relax the condition of getting a prison certificate. I can give you another example in this regard. During 1940—1942 many people were imprisoned in Deolali Prison which was directly under the control of the Central Government. You will appreciate, Sir, that no records about this Deolali Prison are available now If the freedom fighters imprisoned in Deolali Prison are enabled to get a certificate of their imprisonment from the present Members of Parliament or the Members of the State Legislature, they will then be able to send their applications for pension without inordinate delay.

I would also like to refer to another relevant fact. The State Governments have recognised some freedom fighters and they are being given pension. I understand that their applications also will be further scrutinised. I do not understand the need for scrutiny in such cases and it is not necessary also. In the case of applications sent by the freedom fighters who have already been recognised by the State Governments and who are being given pension by the State Governments, decisions can be taken without further scrutiny.

There is another kind of hardship being faced by some of the freedom fighters. Some of them have undergone imprisonment intermittently for a month, two months, three months or four months. Their total period of imprisonment might be even more than a year. But the condition for getting the pension is that they must have undergone imprisonment for six months at a stretch in one continuous term. If this requirement is not met, they are not eligible to get the pension. Similarly, though one might have undergone imprisonment at a stretch for a period less than six months, say a few days less than six months, then also he is ineligible to claim the pension. Sir, I strongly feel that there is need for relaxing this condition also.

I think, Sir, that there is the procedure of deducting the pension amount being given by the State Government from the amount of Rs. 200|- sanctioned under this scheme There is already widespread rumour that the State Governments might stop their pension, which these people have been getting for many years now. This will be unwarranted hardship for the freedom fighters. I strongly urge upon the hon Minister that some solution should be found out to this problem.

Before I conclude, I would request that the hon. Minister should bear in mind the problems being faced by the freedom fighters in forwarding their applications and he must ensure expeditious disposal of their applications. As I have suggested earlier on, the conditions need not be so rigid and wherever some relaxation is required, it must be looked into by the Government without any further delay, because the freedom fighters are the torch-bearers of our freedom movement.

With these words, I conclude.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सभापति महोदय, आधा घंटा तो हो गया है। अभी जितनी बातें कही गई है उनके बारे में मेरे पास तथ्य भी है, कुछ सूचना भी देनी है, इसलिए थोड़े से समय में मैं जितना बतला दूं उससे मदद मिलेगी।

MR CHAIRMAN You can be as brief as possible.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री शास्त्री ने योजना के बारे में जो घोषणा का स्वागत किया और जो कहा कि लोगो के दिल में खुशी हुई, सब जगह इसका स्वागत हुआ, तो यह सही बात है कि इससे कुछ सन्तोष हुआ सारे देश में, विशेषकर स्वतन्त्रता सेनानियो और उनके परिवारो के बीच मे इससे बड़ी खुशी हुई, इसका बड़ा स्वागत हुआ। जगह जगह से लोगो ने सरकार को पत्र लिखे कि आपने एक अच्छा कदम उठाया है। ठीक है कि देर से किया, लेकिन एक अच्छा कदम उठाया इससे उन लोगो को और उनके परिवारो को राहत पहुंची है जिनकी उम्रें बहुत बढ़ गई हैं और जिनकी जिम्मेदारियो को निभाने में इस से सहायता मिली है।

इस में जो देर की बात कही गई, उस सम्बन्ध में मै कहना चाहता हूं कि बहुत अधिक संख्या मे, एक लाख से ज्यादा, आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उन मे से पिछले महीने तक पांच हजार पेंशने मजूर हुई थी। अब वह संख्या बढ़ गई है और 6 हजार कुछ हो गई है। लेकिन इसके बावजूद वह संख्या कम है। यह स्वाभाविक है कि बहुत से लोगो के दिलों में एक शंका उठी है कि क्यों इतनी देरी हो रही है, क्या बात है कि हमने मई के महीने में अर्जी दी थी, लेकिन हमारे पास कुछ नही आया। यह स्वाभाविक बात है, लेकिन यह सही नही है कि इसमे दस वर्ष लग जायेंगे, जैसा श्री शास्त्री ने कहा। अभी हमारे मित्र ने कहा कि समय निर्धारित होना चाहिये जिसके अन्दर इस पर कोई निर्णय लिया जा सके। समय निर्धारित करने का हमारा इरादा है। इसी जयन्ती वर्ष के अन्दर जितने भी आवेदन पत्र आए हैं हम चाहते हैं कि उन सब की जांच हम केन्द्र में कर लें। हो सकता है कि इसमें सब को न मिल पाये, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी हों जिनके बारे मे पूरी सूचना उपलब्ध न हो या पुष्टि करने की आवश्यकता हो, राज्य सरकारों से पूछने की आवश्यकता हो। यह तो देखने पर ही मालूम पड़ेगा, लेकिन हम अपनी जांच पूरी कराने का लक्ष्य 15 अगस्त, 1973 तक रक्खे हुए हैं। इसके लिए हमने स्टाफ भी बढ़ाया है, चौगुना बढ़ाया है। आप जानते हैं कि आजकल सरकार का स्टाफ बढ़ाना कितना कठिन है। आपको मालूम है कि कैबिनेट तक जाना पड़ता है अगर एक आदमी को भी बढ़ाना पड़े। इसमें चौगना स्टाफ बढ़ाया गया है। लेकिन कैबिनेट के सामने जब आंकड़े रक्खे गये तो उन्होने उसको स्वीकार किया और इस काम को करने का पुण्य कमाया। यह आवश्यक है कि अधिक आदमियो को रक्खा जाये और चौगने आदमी हमने रक्खे। इसके बाद दूसरी कठिनाई आई। उनके लिये जगह नही मिली, एकदम से कमरे नहीं मिले। उसकी व्यवस्था भी हो गई है और इसका काम बहुत तेजी से शुरू हो जावेगा।

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

वैसे भी वह तो हुआ ही है, लेकिन इसमें और गति आयेगी। मैं समझता हूं कि इससे आपको तसल्ली होगी और इसके बारे में हम लोग भी आशंकित हैं कि इसमें ज्यादा देर न हो।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही कि पार्टीबाजी हो रही है। पार्टीबाजी का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। जो कायदा हमने अपनाया है वह यह है कि जिसका आवेदन पत्र पहले आये उसी क्रमानुसार उसको लें और उसी हिसाब से पेंशन दी जाये। पहले राज्यों को बांट दिया गया, फिर जिस राज्य ने पहले किया, बड़ा आदमी हो या छोटा हो, जैसा भी हो, उसका आवेदन पत्र पहले देखा जाता है और उसी को पहले पेंशन दी जाती है।

हमारा विचार है, और जैसा बहुत से साथियों ने भी आज कहा, कुछ ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी हैं जिनकी आयु ज्यादा है, सत्तर, अस्सी अथवा इससे भी ज्यादा आयु के हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बीमार हैं, सख्त बीमार हैं, उनके आवेदन पत्रों पर जल्दी निर्णय लिया जाये, और हम ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन यह अपवाद है क्योंकि आम तौर पर जिस क्रम से आवेदन पत्र आये हैं उसी क्रम से हम उनको ले रहे हैं, और सारी राज्य सरकारों के ले रहे हैं। हर राज्य सरकार का एक आदमी उनको देखता है और दस, पन्द्रह, बीस जितने देख सकता है देखता है। ताकि यह न हो कि एक राज्य सरकार के सब समाप्त हो जायें और दूसरे राज्यों के पड़े रह जायें। हर जगह कुछ न कुछ पेंशन पहुंचती रहे।

तो हमने यह तरीका अपनाया है। अगर आप इसमें कुछ सुधार सुझाव रख सकते हैं तो सुझायें। मैं समझता हूं कि काफी काम हुआ है और इसमें अब जरा और तेजी आयेगी और जल्दी से जल्दी हम पेंशन मंजूर करेंगे तो मेरी धारणा है कि इससे सन्तोष होगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : अपने दफ्तर में आप यह भी देखें कि इस नियम को अमल में लाया जा रहा है या नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आपको मालूम पड़े कि नहीं हो रहा है तो हमें बताएं और हम इसको देखेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : लिस्ट भी दी है और बताया भी जा सकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हो सकता है शास्त्री जी ने नाम दिया हो और उसकी वजह से जल्दी हो गया हो।

श्री रामावतार शास्त्री : गलतफहमी न फैलाएं। मैंने चालीस की सूची दी थी। उसमें से तीन चार को ही पेंशन मिली है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उनको शिकायत हो सकती है कि कहने पर भी जल्दी नहीं कर सके हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : अभी भी है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह इस बात का सबूत है कि काम ठीक से चल रहा है। इस काम में तेजी करने का हमारा भी मंशा है।

मंशा हमारा यही है कि जल्दी हो और छानबीन भी जल्दी हो जाए। किसी ने कहा है कि स्वतन्त्रता सेनानियों को सन्देह की नजर से न देखा जाए, जो वे कहते हैं उस को मान लिया जाए। मेरी अपनी भी यही धारणा है, यही भावना है। लेकिन आज आपने खुद कहा कि गलत आदमियों को मिल गया है। गलत आदमी भी आवेदन पत्र दे रहे हैं जब हमने पहले कुछ पेंशन मंजर की थी तब भी इस तरह की कुछ शिकायतें राज्यों से आई थीं। बिहार से भी आई थीं। इसका नतीजा यह हुआ कि जहां हम उसको मान कर चल रहे थे वहां हमको उसमे कुछ और एहतियात बरतनी पड़ी और कुछ और बारीकी से देखना पड़ा। जिन नामों पर एतराज हुआ उनको वापिस भेजना पड़ा। इस वास्ते दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती हैं। बारीकी से देखें और एहतियात बरतें कि गलत आदमी को न मिले तो थोड़ी देर होना स्वाभाविक है। इसके अलावा हमने एक और चीज की है ताकि गलत आदमी को न मिले। आपने कुछ नाम लिए हैं। अच्छा होता कि आप नाम न लेते। आप हमें बता देते अगर आपको किसी पर सन्देह था तो। अगर किसी पर भी संदेह किसी माननीय सदस्य को है या या और किसी को है और उसका कोई आधार है तो हम उसकी जांच कर सकते हैं। जांच करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि जब यह शिकायत आई और मुझसे कई माननीय सदस्यों ने कहा तो हम लोगों ने तय किया कि जो भी पैंशन हम मंजूर करें वह चीज स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित भी करें और जगह जगह उसकी खबर पहुंचाई जाय ताकि लोगों को मालूम हो इसके बारे में। इससे स्थानीय जनता को मालूम होगा कि फला फला को पैंशन मिली है और वह देख सकेगी कि गलत आदमी को तो नहीं मिली है और अगर उसको मालूम होगा कि मिली है तो वह हमें कुछ कहेगी। इससे अच्छा तरीका मुझे और नहीं लगता है। शास्त्री जी ने जो कहा कि एस डी ओ ने पैसा लेकर प्रमाणपत्र दिया उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे इस तरह की चीज रुक जाय। इसके अलावा हम सदस्यों को भी सतर्क रहना चाहिए। नाम बताएं जाएं तो अवश्य हम उन केसिस मे रोक देते है।

एक माननीय सदस्य . सही आदमी छूट गए है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त वह भी बताए। एक लाख के उपर अर्जियां है। एक लाख एक हो जाएगी। उस मे कोई तकलीफ नहीं होती है

बिहार मे आल पार्टीज कमेटी का जिक्र भी आपने किया है। दूसरे राज्यो मे भी इस तरह की समितियां हैं या नही यह आपने पूछा है। मैं नहीं इसके बारे मे कह सकता हूं। लेकिन सात राज्यों में समितिया बनी हैं, महाराष्ट्र, बिहार, मैसूर, राजस्थान, दिल्ली, गोवा और त्रिपुरा। हम राज्य सरकारों से पुष्टिकरण मांगते हैं। अगर वे किसी के बारे में हमको सर्टिफिकेट दे दे या काइटीरिया के अनुसार कोई केस खरा उतरता है तो हम उनको मान लेते हैं। जहा कोई दिक्कत होती है तो राज्य सरकार को

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

हम कहते हैं कि आप छानबीन कर के और अपने को सैटिसफाई करके बता दें और उसको हम मान लेते है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अभी तक यह प्रोसीजर नहीं था कि राज्य सरकारे सिफारिश करे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त था, आज भी है कि यह एक अर्जी वहा देनी पडती है राज्य सरकार को, एक केन्द्रीय सरकार को। लेकिन हम राज्य सरकार की सिफारिश के लिए रुकते नहीं है। अगर हम उसकी सक्रूटनी मे ठीक लगता है तो उसको हम मंजूर कर लेते हैं, प्राविजनली मंजूर करते है। राज्य सरकार की तरफ से उसका पुष्टिकरण हो जाए तब उसको फाईनली मंजूर किया जाता है। लेकिन हम उसके लिए नही रुकते कि राज्य सरकार अपनी सिफारिश भेज। अगर हम ठीक लगता है तो हम उसमें कार्रवाही करते है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : एक लाख मे से कितनी दरख्वास्तों को राज्य सरकार ने अपनी सिफारिश के साथ भेजा है। अगर आप हमें यह जानकारी दें तो हम उनकी गर्दन पकड़ेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : बाद में बताएंगें।

यह भी कहा गया है कि किसी एमूबर को मिल गई है। नाम भेजें तो इसको भी देखगें। राज्य सरकार की जो समिति है उसने भी कुछ शंका अपनी व्यक्त की थी एक दफा कुछ नामों के सम्बन्ध मे तो हमने रोक दिया था।

श्री रामावतार शास्त्री : चिट्ठी लिखीं थी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : नियत हमारी और आपकी एक ही हैं। गलती हुई है तो उसको देखा जा सकता है और ठीक किया जा सकता है।

श्री राम धन (लालगंज) : संसद सदस्यों को भी इसकी सूचना भेज दिया करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त . राज्यवार अभी नही चल रहे है। हमको सारी लिस्ट बनानी है। कोशिश यह कर रहे है कि हर काम करने के बजाय जल्दी से फाइनलाइज करें इस वक्त।

श्री दरबारा सिंह : फाइनेंशल कंसिड्रसन तो बीच में नही आएगी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त . जी नहीं। जितने पैसे कि आवश्यकता होगी दिया जायगा।

श्री रामावतार शास्त्री : पांच हजार रुपया सालाना की आमदनी के कारण एम पीज को नही मिलेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : नहीं जी।

श्री रामावतार शास्त्री : बाद में एम०पी० नहीं रहेंगे तो आप देंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : तब शायद जरूरत ही न पड़े।

श्री रामावतार शास्त्री : मुझे पड़ेगी मैं जानता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त प्रश्न उठाया गया है कि एकरूपता नही है क्राइटीरिया के सम्बन्ध में । एकरूपता इस लिए नही है कि पहले केन्द्र से नही दिया जाता था राज्य सरकार से दिया जाता था । उन्होंने अपने अपने नियम बनाए, अपना अपना क्राइटीरिया रखा । उसी आधार पर वे देती थी । 1972 मे सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार केन्द्रीय योजना बनाई, सारे देश के लिए एक क्राइटीरिया अपना रखा । जो राज्य सरकारों ने क्राइटीरिया बनाए हुए है वे पहले से बने हुए हैं । इसी वजह से इसमें एकरूपता नही है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र एकरूपता तो जरूर होनी चाहिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस मे एकरूपता इस तरह से आ सकती है कि अगर राज्य सरकार पचास रुपये देती है तो हम डेढ सौ दे देते हैं और इस तरह से दो सौ रुपया हो जाता है ।

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga): May I put one question to the hon. Minister? It is very important.

MR. CHAIRMAN: If I allow the hon. Member, then I shall have to allow so many other Members sitting here. Under the rules, we have only four Members to ask questions. Now, the hon. Minister should be permitted to finish his speech. If the hon. Member has got any suggestions to offer, he can write to the hon. Minister.

SHRI KARTIK ORAON: Kindly give me just one minute.

MR. CHAIRMAN: No. Let the hon. Minister continue.

श्री कार्तिक उरांव : टाना भगत मे कितनों को दी है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : लिस्ट इस वक्त मेरे पास नही है ।

पाडे जी ने सवाल पूछा है । मुझे लगता है कि उन्होंने स्कीम को पढा नही और अगर पढा होता तो दो तीन सवाल जो उन्होंने पूछे है उनको न पूछते । छ: महीने से कम वालों को देने का कोई प्रश्न नही है । हमारी स्कीम बहुत स्पष्ट है । जो दुनिया मे नही हैं उनके परिवारों को देने की बात भी स्पष्ट है । स्कीम मे कितना रुपया देगे यह भी स्पष्ट है ।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : गोवा मेनानियों के बारे में मैंने पूछा था ।

वहा जो लोग शहीद हुए है उनके परिवारों पर लागू है या नही :

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उन पर भी लागू है । पहले से दूसरी स्कीम है । इससे पहले वह मंजूर हो चुकी है ।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : कोई कब मरे कुछ पता नहीं है, उनके परिवारों का क्या होगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : लिख कर मुझे आप बता दें उनके बारे में ।

मिश्र जी ने कहा कि केन्द्र को राज्यों की शिकायतें देनी चाहिए कि जो जिले के अधिकारी हैं वे सहायता करे रिकार्ड वगैरह इकट्ठा करने के लिए ।

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

यह हिदायत दी जा चुकी है। जब पहले पहल हमें मालूम हुआ कि स्वतंत्रता-सेनानियों को दिक्कत हो रही है, तो हमने राज्य सरकारो को कई महीने पहले लिख दिया कि वे अपने जिलाधीशों से कह दें कि वे इस काम मे विशेष रुचि ले और अगर जरुरत हो, तो वे खुद जाकर जेल के रिकार्ड देखे।

श्री विभूति मिश्र : यह नहीं हो रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अगर और लिखने की आवश्यकता होगी, तो राज्य सरकारो को लिखा जा सकता है।

श्री विभूति मिश्र . हर जिले मे जिला मजिस्ट्रेट आई० ए० एस० हैं। वे केन्द्रीय सरकार के मातहत हैं। मंत्री महोदय उन को हिदायत दें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आई० ए० एस० आफिसर्ज राज्य सरकारों के भी मातहत होते हैं।

यह भी एक सवाल है कि किस तरह से यह पैसा बांटा जाय। आम तौर पर पैसा कचहरी या ट्रेजरी वैगरा से बंटता है। मनी-आर्डर से बांटने का सुझाव दिया गया हैं। अगर सौ रुपये तक पैसा मनी-आर्डर से भेजा जाय, तो कमीशन नहीं पड़ता हैं, लेकिन सौ रुपये से अधिक ढाई सौ रुपये तक कमीशन पड़ता है। अगर कोई लेना चाहे, तो हम राज्य सरकार के एकाउंटेंट-जेनेरल को भेजते है, जब वह स्वतंत्रता-सेनानी को लिखें, तो उस वक्त अगर वह कहे कि हमें मनी-आर्डर से पैसा भेजा जाए, तो ऐसा किया जा सकता है। यह उनका मालूम है। अगर वे मनी-आर्डर कमीशन देने के लिए राजी हो जाएं, तो मनी-आर्डर से पैसा जा सकता है। अगर इसमें सहूलियत हो, तो हम बैंक की भी बात सोच सकते है, लेकिन उस में सर्विस चार्ज पड़ते हैं। अगर इस बारे में माननीय सदस्य कोई व्यावहारिक सुझाव देंगे, तो हम उन पर विचार करेंगें। अभी तक तो ये तीन तरीके हमारी समझ मे आयें हैं।

श्री कतामुत्तु ने जो बातें कही हैं, उन का जवाब तो मैंने दिया है। उन्होंने स्क्रुटिनी के बारे मे कहा है कि अगर राज्य सरकारों से आ जाये, तो सकी क्रुटिन ी क यों होती है। स्क्रुटिनी साथ साथ होती है। राज्य सरकार भी करती है और केन्द्रीय सरकार भी करती है। हम राज्य सरकार के लिए रूकते नही हैं। अगर हम को ठीक लगे, तो हम पहले ही सैंशन कर देते है।

मैं समझता हूं कि मैंने सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस मसले पर यहां चर्चा हुई। मुझ को इससे बड़ी सहायता मिलती है। स्वतंत्रता-सेनानियों को जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, अगर माननीय सदस्यों द्वारा वे हम को मालूम हो जाएं और अगर माननीय सदस्यो के सुझाव हमारे पास आयें, तो इस से सरकार को बड़ी सहायता मिलती है।

18.54 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 11, 1972/Agrahayana 20, 1894 (Saka).

MGIPND—L—2851 LS